कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय–माध्यमिक श्रीगंगानगर

क्रमांक: जिशिअ/मु./माध्य/गंगा/संस्था–II/नियु./2018/शाशि.III/ 4857 दिनांक : 31.01.2020

— :: कार्यालय आदेश :: —

श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा–मा/संस्था/एफ–1 /12102 /शा.शि.ग्रेड–III/सी.भ./वो–I/2017–18 दिनांक 29.11.2019 की अनुपालना में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा तृतीय वेतन श्रृंखला शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–III भर्ती परीक्षा 2018 के पद हेतु चयनित अभ्यर्थियों को राज्य सरकार के पत्रांक प. 17 (8) शिक्षा–2/2013 जयपुर दिनांक 15.11.2019 में अंकित बिन्दू सख्या–1 से 31 में अंकित शर्तो के अनुसार दिनांक 07.12.2019 को काउसंलिग आयोजित कर **तृतीय वेतन श्रृंखला शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–III के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के अनुसार वेतन लेवल 10 मे प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानेदय 23700/– प्रतिमाह/विद्यमान वेतनमान पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।**

संस्थाप्रधान इन्हे कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नाकिंत बिन्दुओ की पूर्ति पूर्ण करने के उपरान्त ही कार्यग्रहण करवाये :–

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबधित अभ्यर्थी का जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबधी सदाचरण रिपोर्ट व सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नही करवाया जावे। पूर्व में राजकीय सेवा में कार्यरत कार्मिको हेतु यह आवश्यक नही होगा।
2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1) डीओपी /ए–II/95/दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके बाद उत्पन्न संतानो के फलस्वरूप कुल संतानो की सख्या दो से अधिक नही होने संबधी आशय का शपथ पत्र 50 रूपये के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावें।
3. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बन्धी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्संबंधी आशय का 50 रू0 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।
4. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व–घोषणा पत्र (प्रारूप) प्राप्त किया जावे।
5. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल आवेदन एवं नियुक्ति आदेश पर चस्पा फोटो से मिलान कर यह सुनिश्चित कर लेवें कि सही अभ्यर्थी नियुक्ति पर कार्यग्रहण करने हेतु उपस्थित हुआ है।
6. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही है। दस्तावेजो के त्रूटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पायें जाने की दशा में उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेंगी एवं उनके विरूद्व नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र रहेगा।
7. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 7(3) कार्मिक/क–2 /06/पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धुम्रपान, मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करनें संबन्धी वचनबद्वता **(Undertaking)** निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावें।
8. अभ्यर्थी को **दिनांक 10–02–2020** तक अपने पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नही करनें पर नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी।
9. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा ।
10. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधायी निधि आदि की कटौती नहीं होगी।
11. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतनवृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा।

12. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलैण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांकः एफ.12 (9) एफ.डी. (रूल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।

13. वित्त विभाग के आदेश क्रमांकः एफ.12 (9) एफ.डी. (रूल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोबेशन ट्रेनी के फिक्स रेमुनरेशन से नवीन पेंशन अंशदान की कटौती नियमानुसार होगी।

14. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी के समस्त दस्तावेजो यथा शैक्षिक, प्रशैक्षिक, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य का मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर लेवे। मिलान से भिन्न स्थिति पायें जाने की दशा में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण इस कार्यालय को लौटायें।

15. शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–तृतीय सीधी भर्ती परीक्षा–2018 में दी जाने वाली नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर में विचाराधीन रिट संख्या 13257/2018, 15078/2019 एवं 17309/2019 तथा अन्य समान याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णयों के अध्ययधीन होगी।

उक्त आदेश की राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर द्वारा सक्षम स्वीकृति प्राप्त है।

— :: सूचि :: —

क्र0 सं0	मैरिट नं0	नाम/ पिता का नाम/ पूर्ण पता	जन्मतिथि	लिंग	जाति वर्ग	विशेष श्रेणी	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान	फोटो
1	261	**JAGDISH SINGH/ SOHAN SINGH** VPO BHUKARKA TEHSIL NOHAR - BHUKARKA PINCODE 335523 DIST.HANUMANGARH	20-12-1992	M	OBC		GEN	राउमावि भोपालपुरा	
2	291	**ANGAD KUMAR/ RAM PARTAP** VPO.-NUKERA, WARD NO.11 TEHSIL-SANGARIA - NUKERA PINCODE 335063 DIST.HANUMANGARH	10-06-1993	M	OBC		GEN	राउमावि 2 एम0एल0डी0ए0 घड़साना	

31.1.2020

(दयाचन्द बंसल)
जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय–माध्यमिक
श्रीगंगानगर

क्रमांकः जिशिअ/मु./माध्य/गंगा/संस्था–II/नियु./2018/शाशि.III/ 4857 दिनांक : 31.01.2020
प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू–

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान–बीकानेर।
2. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा बीकानेर मण्डल, बीकानेर।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी श्रीगंगानगर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय–प्रारम्भिक, श्रीगंगानगर।
5. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/पीईईओ जिला श्रीगंगानगर।
6. वरिष्ठता अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. मेल प्रभारी कार्यालय हाजा को ई–मेल ad.esttf.dse@rajasthan.gov.in पर भिजवाने हेतु।
8. ~~संबंधित संस्था प्रधान~~/कार्मिक ....
9. रक्षित।

31.1.2020

जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय–माध्यमिक
श्रीगंगानगर